प्रेस नोट

दिनांक 27.11.2024

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.11.2024 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकुर मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 20.11.2024 को वादी राघवेंद्र पांडे पुत्र रामकुमार पांडे (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी मोहल्ला चांद थोक वार्ड नंबर 12 कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा उपस्थित थाना जाकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि उसके घर के बाहर दिनांक 20.11.2024 को अंकुर मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा निवासी माल गोदाम के पास कस्बा व थाना सुमेरपुर तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति आए और तमंचे से घर के बाहर फायर किया व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । वादी राघवेंद्र पांडे से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 458/2024 धारा 288/352/351(2) BNS बनाम अंकुर मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा व एक व्यक्ति अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त अंकुर मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा निवासी माल गोदाम के पास कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 - 313/2022, धारा 323/504/506 भा0द0सं0 थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर

2.मु0अ0सं0 - 458/2024, धारा 288/352/351(2) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मनीष पटेल
2. का0 अनुराग सिंह